

रामनिवारा

वनाम

धिरंजीलाल आदि

किस्म मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर :- 30/23

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इन्डिफायर जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुम की तारीख जारी हुआ
15.05.2023	<p>आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिंगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की वहस एवं प्रस्तुत दरतावेज , शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि विवादित भूमि रोही मौजा बक 5 एस डी आर के खाता संख्या 36/30 के मु.न. 5 के कि.न. 1 की 0.253 है. गैरमुमकिन रास्ता नहरी, कि.न. 02 ता 09 प्रत्येक किला की 0.253 है नहरी, कि.न. 10 की 0.253 है. गैरमुमकिन रास्ता नहरी, किला नं. 11 की 0.253 है.गैरमुमकिन रास्ता नहरी, 12,13,15,16 प्रत्येक कि. की 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 की 0.253 है. गैरमुमकिन रास्ता नहरी कुल किला 16 की 4.0480 है. जिसमें 3.9960 है. नहरी व 0.0520 है. गैरमुमकिन रास्ता की भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वापकोस कार्य DILRMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्वध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे अप्रार्थीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.06.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>20/8/23 फर्दवली पेश हुई पीठासीन अधिकारी-अज अदालत मुकाम भादरा दिनांक 11/8/23 को पेश हो।</p> <p>11/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली को तलवी अप्रार्थीगण दिनांक 31/10/23 को पेश हो। श्री Preetam</p> <p>31/10/23 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की शेर के वकील पीठासीन ने मूल वाद में वकालतना पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी मुकाम भादरा के वकील पत्रावली द्वारा दिनांक 12/10/24 को पेश हो।</p>	

15/5

वकीलवादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.

पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.

दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

उलंकी *श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा*  
*वकील*

23/5/25

पत्रावली पेश हुई। कुलाल कारिद्वारा उपर  
वकील अर्थात् श्री अर्जुन ल 1, 6, व 7 की  
ओर से जवाब पत्रावली पेश किया कि  
2 मासिक फिलम किया गया। पीठासीन अधिकारी  
अन्य मासिक से जवाब पत्रावली प्रकृतिगत  
दिनांक 16/5/25 को पेश कराए।

6/7/25

पत्रावली पेश हुई पीठासीन

अधिकारी *श्रीमान श्री राजेश कुमार शर्मा*

दिनांक 22/8/25 को पेश हो। *W*

28/7/25

वकीलवादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.

पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.

दिनांक 10/9/25 को पेश हो। *W*

7/8/25

वकील अर्थात् उपदिपत। अर्थात् स्वयं उपस्थित  
अर्थात् के अर्थात् - छ पर पत्रावली के  
अर्थात् के किया गया। अर्थात् के निवेदन  
किया कि पत्रावली के साथ राजीनामा  
होने के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही  
नहीं चलती। अर्थात् के निवेदन पर  
पत्रावली के अर्थात् के छ पर  
एवम् किया गया है।

के अर्थात् के  
नहीं पाए गए हैं  
- शुभ  
अर्थात् के  
*W*

पत्रावली नष्ट हो गई किंगम  
के अर्थात् के अर्थात् के अर्थात् के